



बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

पत्रांक :- बु0वि0/सम्ब0/2015/112

दिनांक :- 01/05/2015

सेवा में,

प्रबन्धक,
डा0 बी0आर0 अम्बेडकर महाविद्यालय,
गिरवां, बांदा।

विषय:- स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित डा0 बी0आर0 अम्बेडकर महाविद्यालय, गिरवां, बांदा को शिक्षा संकाय में बी0एड0 विषय/पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2015 से सशर्त सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके महाविद्यालय की सम्बद्धता के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के पत्र स0 सम्ब0-1146/सत्तर-2-2014-16(258)/2013 दिनांक 01 अगस्त, 2014 में दिये गये निर्देशनुसार तथा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014, (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) में दी गयी व्यवस्था के अधीन डा0 बी0आर0 अम्बेडकर महाविद्यालय, गिरवां, बांदा को स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत शिक्षा संकाय में स्नातक स्तर पर बी0एड0 विषय पाठ्यक्रम/में सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान करने के लिये दिनांक 28.04.2015 को कुलपति जी की अध्यक्षता में गठित सम्बद्धता समिति की बैठक में निरीक्षण मण्डल द्वारा की गई संस्तुति का परीक्षण किया गया।

परीक्षणोपरान्त सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर तथा कार्यपत्रिद की स्वीकृति की प्रत्याज्ञा में माननीय कुलपति जी ने दिनांक 01.07.2015 से डा0 बी0आर0 अम्बेडकर महाविद्यालय, गिरवां, बांदा को बी0एड0 विषय/पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की सशर्त पूर्वानुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करने की कृपा की है।

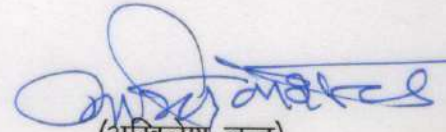
1. उक्त महाविद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि एन0सी0टी0ई0 के मानकानुसार स्वीकृत सीटों के सापेक्ष शिक्षकों का अनुमोदन दिनांक 31 अक्टूबर, 2015 तक कराना सुनिश्चित करें।
2. मानकानुसार अनुमोदित शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण, अनुबन्ध पत्र, बैंक खाता स0 एवं नियुक्ति पत्र का विवरण दिनांक 31.10.2015 के पूर्व विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
3. उक्त महाविद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि कार्यपत्रिद के निर्णयानुसार वार्षिक परीक्षा के पूर्व माह दिसम्बर, 2015 तक सभी कक्षाओं में सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाकर उन्हें विश्वविद्यालय के नियन्त्रण कक्ष द्वारा इण्टरनेट के माध्यम से जोड़ कर तदनुसार सिस्टम एनालिस्ट का प्रमाण पत्र संलग्न करें।
4. उक्त महाविद्यालय विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस अश्रय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. उक्त महाविद्यालय शासनादेश स0 2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगा। रिट

६

१४

याचिका स0 61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश स0-522/सत्तर-2-2013-2650/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का भलीभांति अनुपालन एवं अनुमोदित शिक्षकों के नियुक्ति पत्र की प्रति, अनुबन्ध पत्र की प्रति एवं कार्यभार ग्रहण आख्या तथा शिक्षकों को एकाउन्टपेयी चैक द्वारा वेतन भुगतान सुनिश्चित करेगा।

6. यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।


(अखिलेश चन्द्र)
कुलसचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, झांसी/चित्रकूट मण्डल।
2. समाजकल्याण अधिकारी, बांदा।
3. उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय)।
4. डा0 दीपक तोमर, सिस्टम एनालिस्ट।
5. कुलपति जी के निजी सचिव को कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
6. कुलसचिव के आशुलिपिक।
7. कार्यपरिषद से सम्बन्धित सहायक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त प्रकरण कार्य परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।
8. एजेन्सी प्रतिनिधि।


कुलसचिव